न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जयसिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– **04 / 2023**

दिपेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र बजरंग सिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी सराय तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज0)

..................प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

..................अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत वाहन सुपुर्दगी
अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री गिरधारीलाल सैनी	अभिभाषक	प्रार्थी
2. श्री उदयभान सिंह, अपर लोक अभियोजक	अभिभाषक	अप्रार्थी

–: निर्णय :– **दिनांक :– 15.09.2023**

उपर्युक्त उनवानी प्रार्थना पत्र दिनांक 14.09.2023 को प्रार्थी की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि :–

1. यह कि प्रार्थी फर्म वेरटेक्स सोल्यूशन 342 जसवन्तनगर खातीपुरा जयपुर काप्रोपराईटर है।
2. यह कि प्रार्थी के वाहन आर.जे.14जीजे 6341 द्वारा किसी भी प्रकार की आवश्यक वस्तु का अनुचित परिवहन नहीं किया गया है। पुलिस थाना मेहाड़ा ने प्रार्थी के वाहन के विरूद्ध झूठा मुकदमा बनाया है।
3. यह कि प्रार्थी का उक्त वाहन भार वाहक वाहन है जिसके थाने में खड़े रहने से वाहन के खराब होने का पूरा पूरा अन्देशा है एवं प्रार्थी का वाहन थाने में खड़ा रहने से भारी नुकसान है।
4. यह कि उक्त प्रकरण के निस्तारण में काफी समय लगेगा। वाहन की आवश्यकता अनुसंधान अधिकारी को भी नहीं है।
5. यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कतई मिथ्या एवं आधारहीन है।
6. यह कि प्रार्थी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार मौतबीर सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पेश करने को तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पिकअप आरजे 14 जीजे 6341 प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिये जाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.06.11 16:38:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर थानाधि[illegible] पु[illegible] थाना मेहाड़ा से प्रकरण में वस्तुस्थिति की जांच रिपोर्ट ली गई। थ[illegible] की जांच रिपोर्ट क्रमांक 4764 दिनांक 15–09–2023 के अनुसा[illegible]म्बर आरजे 14 जीजे 6341 को दिनांक 04.08.2023 को श्रीमान् सी.ओ.साहब खेतड़ी को श्र[illegible]ल्याणसिंह जिला स्पेशल टीम द्वारा सूचना देने पर श्रीमान् सी.ओ.साहब खेतड़ी मय जाप्ता के बसई नदी बेसरड़ा

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

कच्चा रास्ता पर नाकाबंदी के दौरान बोलेरो पिकअप नम्बर आरजे 14 जीजे 6341 को चैक किया गया तो उक्त वाहन बोलेरो पिकअप नम्बर आरजे 14 जीजे 6341 में 7 प्लास्टिक के ड्रमों में डीजल भरा हुआ मिला जिसको जप्त कर थाना हाजा पर प्रकरण संख्या 0143/2023 धारा 3/7 ई सी एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान किया गया। प्रकरण हाजा में जप्त शुदा बोलेरो पिकअप नम्बर आरजे 14 जीजे 6341 की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि पिकअप गाड़ी आर.जे.–14 जीजे–6341 प्रार्थी की फर्म वेरटेक्स सोल्यूशन के नाम से रजिस्टर्ड है जिसका प्रोपराईटर प्रार्थी है। प्रार्थी का उक्त वाहन पुलिस थाना मेहाड़ा में जप्त है। उक्त वाहन की पुलिस थाना मेहाड़ा को कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी उक्त वाहन से अपनी आजीविका चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है जिसके लिए प्रार्थी अपने उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर लेना चाहता है। प्रार्थी को उक्त वाहन की सख्त आवश्यकता है। उक्त वाहन थाने में धूप बरसात में खड़े रहने से उसके रंग रोगन उड़ने एवं खराब होने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस के अन्त में कथन किया कि प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को उसकी पिकअप गाड़ी नम्बर आर.जे.–14 जीजे–6341 को सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

सरकार पक्ष की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि थानाधिकारी पुलिस थाना मेहाड़ा की रिपोर्ट क्रमांक 4764 दिनांक 15.09.2023 के अनुसार वाहन पिकअप गाड़ी नम्बर आर.जे.–14 जीजे–6341 के संबंध में अनुसंधान शेष नहीं है। अधिवक्ता सरकार पक्ष ने बहस के अन्त में कथन किया कि जब वाहन से संबंधित अनुसंधान शेष नहीं है, तो वाहन को रजिस्टर्ड मालिक को सुपुर्दगी पर दिये जाने पर पुलिस थाना मेहाड़ा को कोई एतराज नहीं होना चाहिए।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं थानाधिकारी पुलिस थाना मेहाड़ा की जांच रिपोर्ट के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के विद्वान योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना मेहाड़ा की जांच रिपोर्ट के अनुसार वाहन पिकअप गाड़ी नम्बर आर.जे.–14 जीजे–6341 के संबंध में अनुसंधान शेष नहीं है, तो वाहन को रजिस्टर्ड मालिक को सुपुर्दगी पर दिये जाने पर पुलिस थाना मेहाड़ा को कोई एतराज नहीं होना चाहिए।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0143/2023 जुर्म अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जप्त शुदा पिकअप गाड़ी आर.जे.–14 जीजे–6341 को उसके रजिस्टर्ड मालिक प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है। लिहाजा

–: आदेश :–

अतः प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0143/2023 जुर्म अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पुलिस थाना मेहाड़ा में जप्त शुदा पिकअप गाड़ी RJ 14 GJ 6341 को उसके रजिस्टर्ड मालिक/प्रोपराईटर प्रार्थी को 5,00,000/– (अक्षरेही पांच लाख रूपये) का जमानतनामा [illegible] ही राशि का सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश दि[illegible] जाता [illegible] निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति सहित थानाधिकारी पुलिस [illegible] जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15–09–202[illegible] को खुले [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.06.11 16:38:18 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी